पंचायत निगरानी संख्या
86/2024

पोनी देवी बनाम स्व. मूली देवी के का.मु. कमलो व अन्य

19/03/25

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, इजलास पंचायत निगरानी याचिका न्यायालय हाजा को दिनांक 10/01/24 को स्थानान्तरित होने के बाद प्रार्थीया पोनी देवी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत ने दिनांक 30/04/24 को अंडरटेकिंग ली थी, परन्तु आदिनांक वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में संलग्न आदेशिकाओ से भी जाहिर होता है कि अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु नियमित रूप से उपस्थिति/वकालतनामा पेश नहीं किया जा रहा है। यह प्रार्थी का दायित्व है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/अपील की नियमित पैरवी हेतु न्यायालय हाजा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजरी-अदम पैरवी मे प्रार्थीया द्वारा पुनः पेश किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड यदि आवश्यकता नहीं हो तो मूल रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली